

110

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
महेश भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना -4

कार्यालय आदेश

संचिका सं० - खा०/रिवेट/86/100/2015-16/2016-17

वित्तीय वर्ष 2015-16 में विभागीय ज्ञापांक-1088 दिनांक-14.03.2018 द्वारा खादी संस्था/समितियों को खादी उत्पादन के प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खादी संस्थाओं को बिहार राज्य में किये गये कुल उत्पादन पर 10% छूट दिया जाना है।

01. वर्ष 2015-16 का कुल 07 खादी संस्था/समितियों को संलग्न सूची (अनुलग्नक) के अनुसार उत्पादन के आधार पर रु० 11,51,938.00 (ग्यारह लाख एकावन हजार नौ सौ अड़तीस) मात्र भुगतान करने हेतु स्वीकृति दी जाती है।

02. उक्त स्वीकृत राशि का भुगतान संस्था/समितियों को बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से किया जायेगा।

03. उक्त राशि का भुगतान संस्था/समिति को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के रिवेट मद में उपलब्ध करायी गई राशि से की जायेगी।

04. खादी संस्थाओं द्वारा रिवेट की राशि चाटर्ड एकाउटेन्ट से सत्यापित कराया गया है, जिसे खादी बोर्ड के P.M.A Grant Thornton India LLP द्वारा भी जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के साथ-साथ भुगतान करने की अनुशंसा की गई है।

05. भविष्य में यदि इन दावा की अंकेक्षण जाँच महालेखाकार द्वारा करने के क्रम में कोई त्रुटिपूर्ण राशि अमान्य की जाती है, तो उसका समायोजन संबंधित संस्था/समिति से उनके बकाया दावा की राशि से या संस्था/समिति को एक मुश्त राशि बोर्ड में जमा करना पड़ेगा।

ज्ञापांक प्र/२७३ दिनांक 26/07/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक 26/07/2018

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, ऋण/अंकेक्षण/रिवेट (योजना) बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

02. सहायक लेखा पदाधिकारी (ऋण) को आदेश दिया जाता है कि खादी बोर्ड द्वारा खादी संस्था के जिम्मे खादी ऋण मद में 20% रिवेट दावा की राशि कटौती की गई है जिसका समायोजन करेंगे। कटौती की गई राशि को बोर्ड के ऋण बैंक खाता में जमा करेंगे। अनुलग्नक (सूची के अनुसार)

ज्ञापांक प्र/२७३ दिनांक 26/07/2018

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक 26/07/2018

प्रतिलिपि :- सहायक लेखा पदाधिकारी, बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यकतार्थ प्रेषित।

02. उन्हें निदेश है कि your self RTGS/NEFT के द्वारा रिवेट दावा की राशि का भुगतान करेंगे। (अनुलग्नक सूची अनुसार) तथा बिहार स्टेट खादी एण्ड मिलेज इण्डस्ट्रीज बोर्ड, पटना के नाम से (अनुलग्नक) के अनुसार रेखांकित चेक के माध्यम से संस्था/समितियों का खादी ऋण मद में कटौती की गई राशि का भुगतान करेंगे।

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
पटना, दिनांक 26/07/2018

ज्ञापांक ५९/२७३

प्रतिलिपि :- अध्यक्ष/मंत्री, संस्था/समिति को उक्त भुगतान की जाने वाली रिवेट दावा में किसी प्रकार की गलती पाये जाने पर संस्था/समितियों की जिम्मेबारी होगी और उक्त राशि का संस्था/समिति से वसूलनीय होगी।

२७-७-१८

२३/०७

पटना, दिनांक २६/०७/१८/१८

मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
२६-७-१८

बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड
गणेश भवन, गांधी मैदान पूरब, पटना 4

109

वर्ष 2015-16 का भुगतान (रिवेट दावा)

क्र०	संस्था/समिति का नाम	उत्पादन का औकड़ा लाख रुपये में	रु० कुल उत्पादन का 10 प्रतिशत रिवेट भुगतान राशि	भुगतान राशि में से 20% प्रतिशत खादी चयन मद में कटौती की गई राशि	समिति को भुगतान राशि
1	2	3	4	5	6
1	मिथिलांचल खादी ग्रामोद्योग विकास संघ, पो0-लोहना रोड, दरभंगा	7.70	76946.00	15389.20	61556.80
2	तिसिञ्जीता ग्रामोदय सहयोग समिति लि०, सिङ्गीघाट, पो०-हाजीपुर, जिला- वैशाली, एन०ई० रेलवे हाजीपुर जं०	6.57	54161.00	10832.20	43328.80
3	सरसोपाही पोलीवन्न उत्पादक ग्रामोदय सहयोग समिति लि०, ग्राम+पो०-लौफा, शंशारपुर, मधुबनी	9.00	89974.00	17994.80	71979.20
4	पचरुखी सिल्क खादी ग्रामोद्योगिक सहयोग समिति लि०, पचरुखी, ईश्वरपुर, भागलपुर	35.79	357857.00	71571.40	286285.60
5	ग्राम निर्माण समिति, कतरपुर, पो०-बादी नालन्दा-805105	8.06	80600.00	16120.00	64480.00
6	नाजिर अली एजुकेशनल एण्ड वेलफेयर डेवलपमेन्ट सोसायटी, ग्राम- सोहराय, पो०-पोखरभिण्डा, भाया-लोहनारोड, मधुबनी	9.11	91100.00	18220.00	72880.00
7	मकरन्दा भण्डारिसी ग्रामोदय सहयोग समिति लि०, पो०- भण्डारिसीगंज, भाया मनीगाछी, दरभंगा-847422	40.13	401300.00	0.00	401300.00
		116.36	1151938.00	150127.60	1001810.40

2/10/18

8

25/11/18